संख्या:-740/41-1-2024-25(सा0)/2024

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ०प्र० लखनऊ

पर्यटन अनुभाग-1 लखनऊ, दिनांक: 04, सितम्बर 2024

विषयः प्रदेश में आने वाले देशी-विदेशी पर्यटकों को बेहतर आवासीय एवं खान-पान की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु उ०प्र० राज्य पर्यटन विकास निगम लि० द्वारा संचालित पर्यटक आवास गृहों को प्रबन्धकीय संविदा के आधार पर निजी उद्यमियों के माध्यम से संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-2015/8-16 (पी०पी०पी०-79) 11/2017, दिनांक 09 जुलाई, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रदेश में आने वाले देशी-विदेशी पर्यटकों को बेहतर आवासीय एवं खान-पान की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु उ०प्र० राज्य पर्यटन विकास निगम लि० द्वारा संचालित पर्यटक आवास गृहों को प्रबन्धकीय संविदा के आधार पर निजी उद्यमियों के माध्यम से संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में मा० मंत्रि परिषद का अनुमोदन प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- अवगत कराना है कि उ०प्र० राज्य पर्यटन विकास निगम लि० के कार्मिकों के माध्यम से पर्यटक आवास गृहों का निरन्तर संचालन किया जा रहा है। पर्यटन निगम सहित प्रदेश के अन्य सभी निगमों में शासनादेश संख्या-1184/चैवालिस-2-14/ च0स0/1987 दिनांक 30-11-1987 द्वारा कार्मिकों की नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध लगाये गये हैं। फलस्वरूप पर्यटन निगम में वर्ष 1987 से कोई नियमित नियुक्ति नहीं हुई है। वर्ष 1987 के पूर्व नियुक्त अधिकांश कार्मिक सेवानिवृत्त हो गये है एवं शेष अधिवर्षता के समीप हैं। ऐसी स्थिति में पर्यटक आवास गृहों का संचालन सुचारू रूप से सम्भव नहीं है।

3- उ०प्र० राज्य पर्यटन विकास निगम लि० को उपलब्ध करायी गयी परिसम्पत्तियां/आवास गृह अत्यधिक पुराने हो जाने के कारण जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं, जिसके दृष्टिगत इकाईयों पर पर्यटकों के आगमन में निरन्तर गिरावट आ रही है। परिणामतः कतिपय इकाईयां अपेक्षित व्यवसाय/लाभ अर्जि नहीं कर रही हैं, जिससे पर्यटन निगम की लाभदायिता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।

4-उक्त के आलोक में शासनादेश संख्या-1049/41-97-249/90 दिनाँक 27 जुलाई, 1998 द्वा निर्देश निर्गत किये गये हैं कि परिसम्पत्तियों को प्रबन्धकीय संविदा पर पांच वर्ष की अवधि है संचालन हेतु दिया जा सकता है और इससे प्राप्त होने वाली आय पर्यटन निगम की मानी जायेगी।

5- पर्यटन निगम द्वारा उक्त शासनादेश के क्रम में पर्यटक आवास गृह, बदायूँ, गोपीग दोहरीघाट, गाजीपुर, आगरा, गढ़मुक्तेश्वर एवं झांसी हेतु कई बार ई-निविदायें प्रकाशित की ग परन्तु कोई भी निविदा प्राप्त नहीं हुई। इस सम्बन्ध में निवेशकों द्वारा अवगत कराया गया है पर्यटक आवास गृहों को संचालित करने के लिए आवास गृहों की भौतिक दशा को सुधारने में बड़ी धनराशि का निवेश करना पड़ेगा, जिसकी प्रतिपूर्ति पांच वर्ष की लघु अवधि में सम्भव नहीं होगी।

6- उ०प्र० राज्य पर्यटन विकास निगम लि० द्वारा संचालित इकाईयों की जीर्ण-शीर्ण भौतिक स्थिति, मानव संसाधन में उत्तरोत्तर होती कमी तथा आतिथ्य व्यवसाय में युवा कार्मिकों की अधिक उपयोगिता के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

दृष्टिगत प्रदेश में निजी पर्यटन उद्यमियों को प्रोत्साहित करने एवं रोजगार के नये अवसर सृजित करने के उद्देश्य से उपयुक्त होगा कि निगम द्वारा संचालित इकाईयों को चरणबद्ध रूप से न्यूनतम 5 वर्ष की अवधि एवं तदोपरान्त आगामी 15 वर्षों हेतु आपसी सहमति के आधार पर विस्तारित किये जाने हेतु निविदा आमंत्रित कर संचालित कराया जाये। निजी उद्यमियों के इकाईयों के संचालन पर्यटकों को मिलने वाली सुविधाओं में गुणात्मक सुधार होगा, उद्यमिता को प्रोत्साहन मिलेगा तथा जगार के नये अवसर भी उत्पन्न होगें।

अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में आने वाले देशी-विदेशी टिकों को बेहतर आवासीय एवं खान-पान की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु उ०प्र० राज्य पर्यटन कास निगम लि० द्वारा संचालित पर्यटक आवास गृहों को प्रबन्धकीय संविदा के आधार पर निजी प्रमियों के माध्यम से संचालित कराये जाने हेतु मा० मंत्रि परिषद की बैठक दिनांक 27.08.2024 में नलिखित निर्णय लिये गयेः-

(क) उ०प्र० राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित इकाईयों को निजी उद्यमियों/संस्थाओं के माध्यम से न्यूनतम 15 वर्ष की अवधि एवं तदोपरान्त लीजरेन्ट में 15 प्रतिशत की वृद्धि की शर्त के साथ विस्तारीकरण आगामी 15 वर्षों हेतु किया जायेगा। प्रत्येक वर्ष निवेशकर्ता द्वारा पर्यटन निगम को दी जाने वाली धनराशि में 5 प्रतिशत की वृद्धि का भी प्रावधान रखा जायेगा।

ख) पर्यटन निगम को शासन से अंशपूंजी के रूप में प्राप्त इकाईयों को प्रबन्धकीय संविदा पर संचालित किये जाने पर अर्जित होने वाली आय पर्यटन निगम की आय मानी जायेगी। शेष इकाईयों को प्रबन्धकीय संविदा पर संचालित कराये जाने पर प्राप्त होने वाली धनराशि की 50 प्रतिशत धनराशि उ०प्र० राज्य पर्यटन विकास निगम के खाते में हैण्डलिंग शुल्क के रूप में जमा करायी जायेगी तथा 50 प्रतिशत धनराशि राजकोष में जमा करायी जायेगी।

(ग) इस हेतु निविदा प्रक्रिया के लिये शर्तों/नियमों के निर्धारण एवं क्रियान्वयन हेतु पर्यटन निगम के निदेशक मण्डल को अधिकृत किया गया।

(घ) प्रकरण में अग्रतर कार्यवाही / संशोधन हेतु मा० मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया।

8- उपर्युक्त निर्णय के कार्यान्वयन के संबंध में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन किया जायेगा :-

(1) इस योजना के क्रियान्वयन पर राज्य सरकार द्वारा कोई व्यय भार वहन नहीं किया जायेगा।

(2) पर्यटन विभाग की इकाईयों को प्रबन्धकीय संविदा पर संचालन कराये जाने पर प्राप्त होने वाली धनराशि पर 50 प्रतिशत हैण्डलिंग शुल्क के रूप में प्राप्त धनराशि को उ०प्र० राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंक में एक पृथक खाता खोलकर उसमें जमा कराया जायेगा, जिसे परिसम्पत्तियों के सृजन (भूमि क्रय व नये पर्यटन आवास गृहों के निर्माण, पुनर्निमाण आदि) पर व्यय किया जायेगा, जिसके लिये व्यय करने के पूर्व निगम द्वारा शासन की अनुमति प्राप्त की जायेगी।

(3) हैण्डलिंग शुल्क के रूप में प्राप्त धनराशि का व्यय उ०प्र० राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा किसी भी स्थिति में कर्मचारियों के वेतन-भत्तों अथवा अन्य राजस्व मदों पर नहीं किया जायेगा।

(4) यह शासनादेश पर्यटन विभाग द्वारा पूर्व में निर्मित एवं भविष्य में निर्मित होने वाली तथा अद्यतन विभाग के अधीन सृजित अन्य परिसम्पत्तियों (तीर्थ विकास परिषदों यथा-उत्तर प्रदेश ब्रजतीर्थ विकास परिषद, उत्तर प्रदेश विन्ध्यधाम तीर्थ विकास परिषद, उत्तर प्रदेश श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद, उत्तर प्रदेश श्री चित्रकूटधाम तीर्थ विकास परिषद, उत्तर प्रदेश श्री देवीपाटन धाम तीर्थ विकास परिषद, उत्तर प्रदेश श्री शुकतीर्थ विकास परिषद, श्री नैमिषारण्यधाम तीर्थ विकास परिषद

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

आदि द्वारा सृजित) एवं उ०प्र० ईको टूरिज्म बोर्ड के अन्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों को इसी भांति प्रबन्धकीय संविदा पर दिये जाने पर भी लागू माना जायेगा।

कृपया तद्नुसार प्रकरण में उपर्युक्त निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित कराकर शासन को तत्काल सूचित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मुकेश कुमार मेश्राम)
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1-मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
2-अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ०प्र० शासन।
3-अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उ०प्र० शासन।
4-निजी सचिव, मा० मंत्री, पर्यटन विभाग, उ०प्र० शासन।
5-अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग/न्याय विभाग/सार्वजनिक उद्यम विभाग/नियोजन विभाग/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
6-प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य पर्यटन विकास निगम लि०, लखनऊ।
7-निदेशक, पर्यटन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8-वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
9.उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।